N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0037 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/02/2025 15:34 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 19/02/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:00 बजे **Time To (समय तक):** 07:48 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/02/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/02/2025 15:34:51 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 10 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** GURAGE SHAKHA NAGAR NIGAM GREATAR, MANSAROWAR ZONE,JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** VIJAY SHARMA
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMPRASAD SHARMA
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	A 79, KRISHANAPURI,BADARWAS,NEAR METRO STATION, MANSAROWAR, MANSAROVAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	A 79, KRISHANAPURI,BADARWAS,NEAR METRO STATION, MANSAROWAR, MANSAROVAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	LALCHAND SAINI		पिता:NATHULAL SAINI	1. 21,HANUMANJI KI BAGICHI KE PASS,MALPURA GATE,JAIPUR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 11.02.2025 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को अति. पुलिस अधीक्षक नगर-प्रथम ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर वहां पर उपस्थित व्यक्ति का परिचय परिवादी श्री विजय शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, उम्र 37 वर्ष, निवासी ए-79, कृष्णापुरी, बदरवास, नियर मैट्रो स्टेशन, मानसरोवर, जयपुर के रुप में करवाते हुये परिवादी श्री विजय शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आदेश फरमाये। परिवादी श्री विजय शर्मा ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि मैं विजय शर्मा पूजा ट्रेवल्स फर्म के अधीन नगर निगम ग्रेटर में मानसरोवर जोन गैराज में निगम के डम्पर/जेसीबी/ट्रेक्टर आदि को संविदा चालक की हैसियत की चलाता हूं। मानसरोवर जोन गैराज में श्री लालचंद सैनी जो समय-पालक के पद पर हैं, वो मेरे से नगर निगम जोन गैराज कि गाड़ी चलाने की ऐवज में प्रतिदिन 100/रुपये के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग करता है तथा उक्त रिश्वत राशि नहीं देने पर गाड़ी चलाने के लिए नहीं देता है, जिससे मेरी हाजरी नहीं बन सकती तथा वेतन/रुपयों में कटौती कर दी जाती है साथ ही फर्म पर नौकरी से निकलवाने की धमकी भी देता है। वो अभी मेरे से 05 दिन के हिसाब से 500 रुपये की मांग कर रहा है। मैं मानसरोवर जोन गैराज में तैनात श्री लालचंद सैनी समय-पालक को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं और उसको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी श्री लालचंद सैनी से कोई रंजिश, उधार या लेन-देन बकाया नहीं है। रिपोर्ट करता हूं कानूनी कार्यवाही करें। उक्त परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाने पर दिनांक 17.02.2025 तथा 18.02.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया, जिसमें संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग करना पाया जाने पर दिनांक 19.02.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया जाकर स्वतंत्र गवाहान की तलबी की गई। दिनांक 19.02.2025 को स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी उपस्थित कार्यालय आये, श्री विजय शर्मा द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के 500-500 रूपये के 03 नोट कुल 1500 रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश करने पर नियमानुसार फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तैयार की गई। तत्पश्चात दिनांक 19.02.2025 को समय करीब 07.15 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी, स्वतंत्र गवाहान श्री जगबीर सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री मंयक टांक वरिष्ठ सहायक, श्री राजकुमार मुख्य आरक्षी 79, हरिसिंह 19, मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के ब्यूरो कार्यालय जयपुर से जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 युडी 1394 मय चालक के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से गोपनीय कार्यवाही के लिए रवाना हुआ व बंशीधर कानि. 24 व लालु कानि. 418 को सरकारी मोटर साईकिल से तथा परिवादी श्री विजय शर्मा को भी श्री आशीष कानि. 208 के साथ निजी मोटर साईकिल से नगर निगम मानसरोवर जोन कार्यालय के आगे डेयरी के पास मिलने के लिए हिदायत कर रवाना किया जाकर मय हमराहीयान जाप्ते के नगर निगम मानसरोवर जोन कार्यालय के पास डेयरी के पास पहुंच कर समय करीब 07.45 ए.एम. पर परिवादी को डिजिटल वाइस रिकॉर्डर चालु कर गैराज शाखा, नगर निगम ग्रेटर, मानसरोवर जोन में भेजा गया। समय करीब 07.48 ए.एम. पर परिवादी श्री विजय शर्मा ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को पूर्व हिदायतानुसार गैराज शाखा, नगर निगम ग्रेटर, मानसरोवर जोन में टाईम-शाखा लिखे हुये कक्ष के बाहर आकर सिर पर 02 बार हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने का निर्धारित ईशारा किया। ईशारा मिलने पर आस-पास खड़े मुकीम ट्रेप पार्टी के सदस्य एवं स्वतंत्र गवाहान को मन् उप अधीक्षक पुलिस अपने साथ लेकर अन्दर पहुंचा तथा परिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया हुआ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री विजय शर्मा ने बताया कि श्री लालचंद जी सैनी समय-पालक ने अपने कक्ष में मेरे से रिश्वती राशि 1500 रुपये को अपने बांये हाथ में प्राप्त कर उसकी टेबल पर रखे हरे रंग के डीजल रजिस्टर में अपने हाथ से रखकर अपनी सीट पर बैठा हुआ है। जिस पर परिवादी श्री विजय शर्मा को साथ लेकर मय हमराहीयान के गैराज शाखा, नगर निगम ग्रेटर, मानसरोवर जोन में टाईम-शाखा व 104 लिखे हुये कक्ष के अन्दर पहुंचा, उक्त कमरे में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह श्री लालचंद जी सैनी समय-पालक हैं, जिसने मुझसे अभी-अभी 1500 रूपये रिश्वती राशि अपने बांये हाथ से प्राप्त कर कमरे में प्रवेश करते ही दरवाजे के पास वाली बांयी साईड में इसके सामने की टेबल पर रखे इस हरे रंग के डीजल रजिस्टर में अपने हाथ से रखे हैं। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को

अपना व ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पता लालचंद सैनी पुत्र श्री नाथुलाल सैनी, जाती माली, उम्र 54 वर्ष, निवासी मकान नं. 21, हनुमानजी की बगीची के पास, मालपुरा गेट, जयपुर हाल समय-पालक गैराज शाखा, नगर निगम ग्रेटर, मानसरोवर जोन मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री लालचंद सैनी को आवश्यक हिदायत देकर परिवादी श्री विजय शर्मा से 1500 रूपये ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री लालचंद सैनी ने बताया कि मैंने विजय शर्मा से 1500 रुपये नहीं लिये, मुझे जानकारी नहीं है, कि मेरे कक्ष के रजिस्टर में 1500 रुपये किसने कब रखे रजिस्टर मेरे पास मेरी टेबल पर ही रहता है। विजय शर्मा से ना तो आज व ना हीं पिछले 05-07 दिन से रुपयों के लेन-देन के संबंध में मेरी कोई वार्ता नहीं हुई है। विजय शर्मा वाहन चालक है जो पिछले काफी समय हमारी निगम की गैराज शाखा से निगम का डम्पर चला रहा है। यह कान्ट्रेक्टर का ड्राईवर है जिसे डम्पर चलाने कि ड्यूटी उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मैं देता हूं। जब भी वाहन दिया जाता है तब गेट रजिस्टर/वाहन विवरण रजिस्टर पर चालक के हस्ताक्षर होते हैं। जब कभी चालक नहीं आता तो उसकी अनुपस्थिति मानी जाकर सूचना संबंधित फर्म को मेरे द्वारा दी जाती है तथा उसका वेतन ठेकेदार काटता है। हमारे गैराज में करीब 70 वाहन तथा 70 चालक हैं। अनुपस्थिति मानने पर फर्म दूसरा चालक भेजती है, विजय शर्मा चालक को फर्म पूजा ट्रेवल्स द्वारा भिजवाया गया है, उक्त फर्म का कार्य श्री रामस्वरुप जी देखते हैं। इसके पश्चात मौके पर मौजूद परिवादी श्री विजय शर्मा ने श्री लालचंद सैनी समय-पालक के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि मैं नगर निगम ग्रेटर में मानसरोवर जोन गैराज में निगम के डम्पर/जेसीबी/ट्रेक्टर आदि को संविदा चालक की हैसियत से चलाता हूं। यहां गैराज शाखा में श्री लालचंद सैनी समय-पालक मेरे से नगर निगम जोन गैराज कि गाड़ी चलाने की ऐवज में प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग करता है तथा उक्त रिश्वत राशि नहीं देने पर गाड़ी चलाने के लिए नहीं देता है, जिससे मेरी हाजरी नहीं बन सकती तथा वेतन/रुपयों में कटौती कर दी जाती है साथ ही लालचंद सैनी मुझे गैर हाजिरी का कारण बताते हुऐ फर्म पर नौकरी से निकलवाने की धमकी भी देता है। जिस पर मैंने इस संबंध में दिनांक 11.02.25 को आपके कार्यालय में शिकायत करने पर आपके निर्देशानुसार मैं दिनांक 17-02-25 व 18-02-25 को आपका डीवीआर लेकर इनके पास आया था, तब इन्होंने मेरे से गैराज में नगर निगम की गाड़ी नियमित रुप से चलाने कि ऐवज में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग करने पर मैंने इनको कहा था, मैं एक साथ ही 1500 रुपये दे दूंगा। इस क्रम में आज इनके पास 1500 रुपये रिश्वती राशि लेकर आया था। श्री लालचंद जी सैनी समय-पालक ने मुझसे 1500 रूपये रिश्वती राशि अपने बांये हाथ से प्राप्त कर इसकी टेबल पर रखे इस हरे रंग के डीजल रजिस्टर में अपने हाथ से रखने लगा, इसी वक्त मैंने बाहर आकर आपको पूर्व निर्धारित ईशारा कर दिया। परिवादी श्री विजय शर्मा से पूर्व में प्राप्त विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चला कर सुना गया तो श्री लालचंद जी सैनी समय-पालक व परिवादी की वक्त लेन-देन के समय की वार्ता होना पाई गई। इसके बाद परिवादी व स्वतंत्र गवाह तथा श्री लालचंद सैनी समय-पालक के समक्ष श्री लालचंद जी सैनी समय-पालक की सामने टेबल पर रखे हुये हरे रंग के रजिस्टर को खोला जिसमें स्टॉक रजिस्टर लिखा हुआ है तथा इसको डीजल रजिस्टर के रुप में काम में लिया जा रहा, इस रजिस्टर के पृष्ठ सं. 126 पर 500-500 रुपये के नोट रखे हुये नजर आये। श्री स्वतंत्र गवाह श्री मयंक टांक से उक्त रुपये उठवाये जाकर गिनती करवाई गई तो 500-500/ रूपये के 03 नोट कुल 1500 रूपये मिले। जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से किया गया तो 500-500 रूपये के 03 नोट कुल 1500 रूपये हुबहू वहीं नम्बरी नोट होना पाए गए। उपरोक्त 1500 रूपये के नोटों को पृथक से सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक का नया गिलास निकलवाकर गैराज शाखा कार्यालय से एक जग में साफ पानी मंगवाकर गिलास में साफ पानी डालकर गिलास को धुलवाकर तथा गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के गिलास के घोल में आरोपी श्री लालचंद सैनी समय-पालक के दायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गदमैला होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क अंकित कर चिट चस्पा कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार ट्रेप बॉक्स में से एक अन्य साफ प्लास्टिक का नया गिलास निकलवाकर गैराज शाखा से एक जग में साफ पानी मंगवाकर गिलास में साफ पानी डालकर गिलास को धुलवाकर तथा गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के गिलास के घोल में आरोपी श्री लालचंद सैनी समय-पालक के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क अंकित कर चिट चस्पा कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके पश्चात एक अन्य साफ प्लास्टिक के गिलास में पूर्वानुसार घोल तैयार करवाकर जिस स्टॉक रजिस्टर (डीजल रजिस्टर) के पृष्ठ सं. 126 जिस पर रिश्वती राशि बरामद हुई थी, को एक साफ कपड़े की चिंदी से पौंछकर उस कपड़े की चिंदी को गिलास के

घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। जिस रजिस्टर में रिश्वती राशि रखी हुई थी, उसके प्रथम पृष्ठ व पृष्ठ सं. 126 पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया तथा जिसे साफ कपड़े की चिंदी से सफेद कागज को पौंछा गया था, उस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्क अंकित कर पैकिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। उसके पश्चात चौकीदार द्वारा संधारित वाहन विवरण रजिस्टर जिसे गेट रजिस्टर भी बोला जाता है, कि दिनांक 11.02.25 से वर्तमान तक के पृष्ठ सं. 114 से 142 तक की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त की जाकर (पृष्ठ सं. 01 से 29 अंकित किये जाकर) कब्जा एसीबी लिये गये, कार्यवाही से संबंधित विडियोग्राफी भी की गई। तत्पश्चात आरोपी लालचंद सैनी, समय-पालक से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट तैयार किया गया तथा लालचंद सैनी, समय-पालक को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवा कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वती लेन-देन परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता के संबंध में अपनी नमूना आवाज देने बाबत् पूछने पर आरोपी लालचंद सैनी, समय-पालक ने अपनी नमूना आवाज देने से स्पष्ट इंकार कर दिया। जिसकी फर्द नमूना आवाज तैयार की गई। की गई कार्यवाही से आरोपी लालचंद सैनी, समय-पालक के विरूद्व अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर लालचंद सैनी, समय-पालक को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर पृथक-पृथक डीवीडी तैयार की गई एवं की गई विडियोग्राफी की स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष फर्द वीडियोग्राफी तैयार की गई व उक्त वीडियोग्राफी की पृथक-पृथक डीवीडी तैयार की गई। घटनास्थल का स्वतंत्र गवाहान व परिवादीगण के समक्ष निरीक्षण कर परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान शील्डशुदा आर्टिकल्स पर लगाई गई सील की फर्द नमूना सील पृथक से तैयार आदि कार्यवाही की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन में परिवादी विजय शर्मा द्वारा वो पिछली बार वाला क्या हिसाब है अपना,, आरोपी लालचंद सैनी, समय-पालक द्वारा, अरे जो ईच्छा करे वो ही कर देना परिवादी विजय शर्मा द्वारा, नहीं तो मैं ऐसे करता हूं कि परसों के दिन मेरे पास पेंमेट आयेगा एक साथ ही 1500, 2000 कर दुंगा,, आरोपी लालचंद सैनी, समय-पालक द्वारा, कर देना आराम से परसों कर देना कल कर देना ठीक हैं परिवादी विजय शर्मा द्वारा, लो पकड़ो आरोपी लालचंद सैनी, समय-पालक द्वारा, किस चीज के रुपये हैं परिवादी विजय शर्मा द्वारा, पांच सौ तो पहले के हैं आरोपी लालचंद सैनी, समय-पालक द्वारा, सब कुछ सही है परिवादी विजय शर्मा द्वारा, और आज पन्द्रह दिन के हो गये आरोपी लालचंद सैनी, समय-पालक द्वारा, ठीक है परिवादी विजय शर्मा द्वारा, डम्पर का अपना हिसाब क्लीयर हो चुका है आरोपी लालचंद सैनी, समय-पालक द्वारा, ठीक है परिवादी विजय शर्मा द्वारा, ठीक है गरीब का ध्यान रखना मेरा आरोपी लालचंद सैनी, समय-पालक द्वारा, ठीक है राधे-राधे मजा कर आदि वार्ताऐं हुई है। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी लालचंद सैनी, समय-पालक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री विजय शर्मा को गैराज शाखा, नगर निगम ग्रेटर मानसरोवर जोन से निगम का नियमित वाहन चलाने, परिवादी की नियमित हाजरी बनाने, परिवादी के वेतन/रुपयों में से कटौती नहीं करवाने तथा परिवादी को गैर हाजिरी का कारण बताते हुऐ फर्म पर नौकरी से निकलवाने की धमकी नहीं देने की ऐवज में श्री लालचंद सैनी समय पालक द्वारा परिवादी से प्रतिदिन 100/रुपये के हिसाब से रिश्वत राशि लेना तय कर दिनांक 19.02.2025 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान आरोपी श्री लालचंद सैनी समय पालक द्वारा 1500 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री लालचंद सैनी पुत्र श्री नाथुलाल सैनी, जाती माली, उम्र 54 वर्ष, निवासी मकान नं. 21, हनुमानजी की बगीची के पास, मालपुरा गेट, जयपुर हाल समय-पालक गैराज शाखा, नगर निगम ग्रेटर, मानसरोवर जोन के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय (नीरज गुरनानी) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नगर-प्रथम जयपुर।.......... कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री लालचंद सैनी पुत्र श्री नाथुलाल सैनी, जाती माली, उम्र 54 वर्ष, निवासी मकान नं. 21, हनुमानजी की बगीची के पास, मालपुरा गेट, जयपुर हाल समय-पालक गैराज शाखा, नगर निगम ग्रेटर, मानसरोवर जोन के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गम्भीर सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ, जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 336 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 187-90 दिनांक 20-02-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-बोर्ड/कार्यकारिणी समिति, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर । 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Gambheer singh kashana **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]2/2025 1[illegible]4

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	28/05/1971				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)